

मध्यप्रदेश शासन

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2021-22



श्री प्रेम सिंह पटेल
मंत्री, मध्यप्रदेश

“जिंदगी को हों और नशे को ना कहें”

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग



मध्यप्रदेश शासन



प्रशासकीय प्रतिवेदन 2021–2022



सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

"जिंदगी को हाँ और नशे को ना कहें"



विभागीय समीक्षा बैठक लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान



माननीय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के साथ केरम खेलते हुए

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2021–2022

मंत्रालय

माननीय मंत्री

श्री प्रेम सिंह पटेल

प्रमुख सचिव

श्री प्रतीक हजेला (IAS)

उप सचिव

श्री शीलेन्द्र सिंह (IAS)

विभागाध्यक्ष

आयुक्त

डॉ. ई. रमेश कुमार (IAS)

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण संचालनालय

मिशन संचालक

श्री नंदकुमारम (IAS)

म.प्र.समग्र सामाजिक
सुरक्षा मिशन

अनुक्रमणिका

भाग – एक	पृष्ठ
1. सामान्य जानकारी	1
2. विभाग की पृष्ठभूमि.....	2
3. विभाग की प्रशासकीय संरचना	3
4. विभाग के दायित्व.....	5
5. विभाग अंतर्गत कार्यरत विभिन्न कार्यालय	7
6. विभागीय कार्यक्रम.....	8
भाग – दो	
7. बजट प्रावधान, व्यय एवं जेण्डर बजट.....	11
भाग – तीन	
8. विभागीय कार्यक्रमों का विवरण	
● दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम.....	16
● सामाजिक सहायता कार्यक्रम.....	20
● समाज रक्षा कार्यक्रम	26
● नशामुक्ति / कलापथक कार्यक्रम	29
● पुरस्कार योजनाएं.....	31
9. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम—2010	32
10. दिव्यांगजन हेतु राज्य आयुक्त.....	33
11. मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	35
12. मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग.....	36
भाग – चार	
13. सामान्य प्रशासनिक विषय	38
● संसदीय कार्य	
● सूचना का अधिकार	
● स्वीकृत पद, पदोन्नति, नियुक्ति, समयमान वेतनमान, अनुकम्पा नियुक्ति, सीएम हेल्पलाईन, विभागीय जांच न्यायालयीन प्रकरण	

14. उपलब्धियां.....	41
15. सारांश	42
16. सूची	
i. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत् शासकीय संस्थाएं.....	43
ii. मध्यप्रदेश भिक्षावृति निवारण अधिनियम के तहत प्रदेश शासकीय संस्था	43
iii. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था	44
iv. दिव्यांगता के क्षेत्र में जिला निराश्रित निधि से अनुदान / सहायता प्राप्त संचालित संस्था	45
v. अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वरिष्ठ आश्रम.....	46
vi. केन्द्रीय अनुदान से संचालित नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र (IRCA) अशासकीय संस्था	50
vii. केन्द्रीय अनुदान से संचालित आउटरीच एण्ड ड्राप इन सेंटर (ODIC)	51
viii. केन्द्रीय अनुदान से संचालित कम्युनिटी बेर्सड पियरलेड सेंटर (CPLI)	51
ix. जिले के संयुक्त संचालक तथा उप संचालक कार्यालय के दूरभाष नम्बर	52

भाग - 1

मध्यप्रदेश एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल (हजार वर्ग कि.मी.) 308

A. प्रशासन

1. संचालनालय	1
2. संभागीय कार्यालय	7
3. जिला स्तरीय उप संचालक कार्यालय	45
4. निःशक्त कल्याण की शासकीय संस्थाएँ	20
5. भिक्षुक गृह	1
6. वरिष्ठ आश्रम	79
7. नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र (IRCA)	17
8. निःशक्त कल्याण राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएँ	36

B. प्रशासकीय इकाई (शासकीय डायरी 2022 अनुसार)

1. संभाग	10
2. जिले	52
3. राजस्व अनुभाग	255
4. विकास खण्ड / जनपद	313
5. आदिवासी विकास खण्ड	89
6. कुल ग्राम	54,903
7. कुल ग्राम पंचायतें	22,710
8. कुल नगर निगम	16
9. कुल नगर पालिका	99
10. कुल नगर परिषद	292

C. जनसंख्या (जनगणना 2011 अनुसार) (संख्या लाख में)

1. कुल जनसंख्या	726.27
2. पुरुष	376.12
3. महिला	350.15
4. ग्रामीण	525.57
5. शहरी	200.70
6. अनुसूचित जाति	113.42
7. अनुसूचित जनजाति	153.17
8. बृद्धजन	57.13
9. कल्याणी	21.49
10. दिव्यांगजन	15.51
11. ट्रांसजेण्डर	0.29

विभाग की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 01.11.1956 से पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल का गठन हुआ।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का 7 बार विघटन हुआ है जिसके तहत दायित्व अन्य विभागों को तालिका अनुसार सौपे गये हैं :—

क्रमांक	वर्ष	पुनर्गठन का स्वरूप
1	1961	विभाग से सहकारिता विभाग की योजनाओं को हटाया जाकर पृथक से सहकारिता संचालनालय का गठन हुआ।
2	1977	विभाग से खेलकूद एवं युवक कल्याण को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय खेलकूद एवं युवक कल्याण गठित हुआ।
3	1986	विभाग से महिला एवं बाल विकास को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय महिला एवं बाल विकास गठित हुआ।
4	1994	संचालनालय से प्रौढ़ शिक्षा योजना, स्कूल शिक्षा विभाग को अंतरित की गई।
	2005	पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल का नाम परिवर्तित कर पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय रखा गया।
5	2007	नवीन पंचायतराज संचालनालय का गठन होने से सामाजिक न्याय विभाग से पंचायतराज पृथक हो गया।
6	2008	विभाग से जिला अंकेक्षक एवं उप अंकेक्षकों की सेवाएं एवं अंकेक्षण कार्य स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त विभाग को सौंपा गया।
7	2010	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन का दायित्व सामाजिक न्याय संचालनालय से महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा जाकर सुधारात्मक सेवा की 26 संस्थाओं को मय अमले सहित महिला एवं बाल विकास विभाग को अंतरित किया गया।
8	2012	मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन।
9	2013	विभाग का नाम सामाजिक न्याय से परिवर्तित कर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण किया गया।

विभाग की प्रशासकीय संरचना

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग में प्रशासकीय नियंत्रण एवं नियमन के लिए राज्य मंत्रालय में सचिवालय स्तर पर प्रमुख सचिव, उप सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य लिपिकीय अमला कार्यरत है। यह अमला विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है।

विभाग में संचालनालय स्तर पर आयुक्त/संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक प्रथम श्रेणी, सहायक संचालक द्वितीय श्रेणी एवं परिवीक्षा अधिकारी के साथ अन्य लिपिकीय वर्ग के पद स्वीकृत हैं। संचालनालय का अमला विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ मैदानी अमले पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

वर्तमान में संभागीय मुख्यालय के सात संभागों में क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सागर एवं रीवा में संयुक्त संचालक एवं शेष जिलों में उप संचालक सामाजिक न्याय अपने उपलब्ध अमले के साथ विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

विभाग के अंतर्गत 1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 79 के तहत आयुक्त निःशक्तजन कल्याण कार्यालय संचालित है साथ ही 2. मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति एवं 3. जिला स्तर पर दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति संचालित है। सामाजिक न्याय, सदभाव एवं सामाजिक समरसता को केन्द्र में रखते हुए हर समाज को साथ लेकर चलना सरकार की नीति है। सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं के निर्माण और अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने हेतु 4. मध्यप्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है।


सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढाँचा (स्वीकृत पद)

शासन स्तर

माननीय मंत्री
प्रमुख सचिव
उप सचिव
अनुभाग अधिकारी

विभागाध्यक्ष स्तर

आयुक्त / संचालक



संभाग स्तर

संभागीय संयुक्त संचालक— 7

जिला स्तर

उप संचालक—45

सहायक संचालक —27

सहायक संचालक तकनीकी संवर्ग—2

प्राचार्य / अधीक्षक शासकीय संस्थाएं—21

संभागीय व्यवस्थापक—6

व्याख्याता—48

परिवीक्षा अधिकारी—10

नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत

समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी—427

कम्प्यूटर ऑपरेटर सह सहायक ग्रेड 3 — 427

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के दायित्व

समाज के गरीब, कमजोर, निर्धन, निराश्रित, वरिष्ठजनों, कल्याणी (विधवाओं), दिव्यांगजनों, नशापीड़ितों एवं ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विभाग द्वारा शासकीय संस्थाओं के साथ-साथ इस क्षेत्र में कार्यरत् स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने व इनकी जनभागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं :—

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

दिव्यांग कल्याण योजनान्तर्गत दिव्यांग बालक/बालिकाओं/व्यक्तियों के लिये पात्रतानुसार शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, आरक्षण, पुनर्वास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन, परिचय पत्र, आवास सहायता, पेंशन योजनाएं, आर्थिक सहायता, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय किये जा रहे हैं। दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

सामाजिक सहायता

प्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन, वृद्ध, दिव्यांगजनों के साथ-साथ कल्याणी (विधवाओं) और परित्यक्त, अविवाहित महिलाओं को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिये पेंशन योजनाएं, कन्या/कल्याणी विवाह सहायता/प्रोत्साहन, परिवार सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

समाज रक्षा

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 एवं नियम 2009 का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है— निराश्रित, उपेक्षित वरिष्ठजनों को संरक्षण, भरण—पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वरिष्ठ आश्रमों, वरिष्ठजनों हेतु हेल्प लाईन का संचालन।

मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 की धारा 1(3) के तहत शासन निर्देश क्रमांक 205 / 2567 / 2017 / 26-2 दिनांक 03.02.2018 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में उक्त अधिनियम प्रभावशील है। वर्तमान में अधिनियम की धारा 12(1) 13(1) के तहत प्रदेश के जिला इंदौर में भिक्षुक प्रवेश केन्द्र एवं प्रमाणित संस्था स्थापित एवं संचालित है। योजना अन्तर्गत भिक्षुकों को अभिरक्षा में लेकर उन्हें न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय के निर्णय अनुसार विचाराधीन एवं दंडित भिक्षुकों को भिक्षुक गृह में रखा जाता है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हों, उन्हें कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है।

अन्य कार्यक्रम

अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत नशामुक्ति केन्द्र, नशामुक्ति अभियान, कलापथक दल, जागरूकता कार्यक्रम, ट्रांसजेण्डर कल्याण, विभिन्न स्तर पर पुरस्कार इत्यादि संचालित है।

विभाग अंतर्गत प्रचलित अधिनियम/नियम

अधिनियम	नियम
दिव्यांगजन	
• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016	मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017
• द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मैटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999	—
वरिष्ठजन	
• माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007	मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण नियम 2009
ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) व्यक्ति	
• ट्रांसजेण्डर व्यक्ति(अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019	• ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020
	• मध्यप्रदेश ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) प्रारूप नियम 2021
अन्य	
• अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958	मध्यप्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियम 1960
• मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973	मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण नियम 1977
• मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 एवं संशोधित अधिनियम 2006	मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013 एवं संशोधित नियम 2020

विभाग अंतर्गत कार्यरत विभिन्न कार्यालय

आयुक्त निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश

आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-82 के प्रावधान अनुसार सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को उपरोक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों के हितों के संरक्षण के संबंध में अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति रजिस्ट्रार फार्म एण्ड सोसायटी अधिनियम, 1973 से पंजीबद्ध स्वैच्छिक संस्था है। इस समिति के अंतर्गत मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद/नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए रियायती ब्याज दर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा हेतु ऋण, नवयुवक युवतियों के लिए युवा स्वावलम्बन योजना, व्यावसायिक/ट्रेनिंग कोर्स ऋण आबंटन हेतु बिना कोलेटरल गारन्टी के स्वरोजगार व उच्च शिक्षा के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रावधान है।

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति रजिस्ट्रार फार्म एण्ड सोसायटी अधिनियम, 1973 से पंजीबद्ध संस्था है। यह समिति प्रदेश के प्रत्येक जिले में गठित है। इस समिति के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, दिव्यांग समग्र पुनर्वास की कार्यवाही, सामूहिक विवाह का आयोजन इत्यादि कार्यवाहियाँ की जाती हैं।

म.प्र. राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग

सामान्य वर्ग के हितार्थ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 296 / 3600 / 2007 / एक(1), दिनांक 28.01.2008 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–15 / 2013 / 16–1 / 754, दिनांक 10.09.2021 द्वारा श्री शिव कुमार चौबे वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं।

महत्वपूर्ण दिवस

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रति वर्ष निम्न दिवसों का आयोजन किया जाता है :—

मध्य निषेध संकल्प दिवस	30 जनवरी
अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस	31 मई
अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस	26 जून
अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस	1 अक्टूबर
मध्य निषेध सप्ताह	2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर
विश्व विकलांग दिवस	3 दिसम्बर

विभागीय कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

राज्य शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम

1. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
2. छ: वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित एवं बहु विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
3. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
4. मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना
5. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
6. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
7. मुख्यमंत्री निकाह योजना
8. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
9. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
10. दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना
11. दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना
12. दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
13. शत-प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना
14. दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
15. दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
16. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
17. दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय एवं शल्य क्रिया उपचार सहायता
18. कलापथक दल—ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का प्रचार—प्रसार, जागरूकता के कार्यक्रम
19. वरिष्ठ आश्रमों का संचालन/शतायु सम्मान

अन्य कार्यक्रम

1. मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता योजना
2. मद्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण केन्द्रीय अनुदान योजना
तथा जन-जागरूकता कार्यक्रम
3. भिक्षुक केन्द्र का संचालन
4. जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों का संचालन
5. राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित योजनाएं
6. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.)
7. एडिप योजना
8. सिपडा योजना
9. सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)
10. अवेयरनेस जनरेशन एण्ड पब्लिसिटी स्कीम (ए.जी.पी.)
11. अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)
12. वरिष्ठजनों हेतु सहायक उपकरणों का वितरण
13. समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (IPSRc) केन्द्रीय अनुदान योजना
14. नशामुक्ति कार्यक्रम

विभागीय पुरस्कार

1. इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार
 2. महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना
 3. विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार
 4. नशामुक्ति ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना
-

भाग - 2

बजट प्रावधान एवं व्यय वर्ष 2021–22

(राशि लाख में)

शीर्ष / योजना	कुल प्रावधान	व्यय (माह दिसम्बर 2021 तक)	व्यय का प्रतिशत
आयोजना (9999)			
मांग संख्या 34–2235	6613.58	4259.01	64.40
योग (9999)	6613.58	4259.01	64.40
आयोजना			
मांग संख्या—34			
0101, 0701 एवं 0801—राज्य आयोजना सामान्य	228671.13	182670.89	79.88
0102, 0702 एवं 0802—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	76656.42	61702.31	80.49
0103, 0703 एवं 0803—अनुसूचित जाति उपयोजना	60635.53	50287.49	82.93
योग	365963.08	294660.69	80.52
कुल योग	372576.66	298919.70	80.23

जेण्डर बजट

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पात्रतानुसार महिलाओं को लाभांशित किया जाता है, तथापि विभाग द्वारा निम्न योजनाएं मुख्यतः महिलाओं के लिए संचालित हैं :—

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
- मुख्यमंत्री निकाह योजना
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वृद्ध, विधवा, अविवाहिता, परित्यक्त, दिव्यांग महिलाओं हेतु)
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

उक्त योजनाओं में शत—प्रतिशत राशि बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग संबंधित जेंडर मुद्दे, जेंडर गेप, जेंडर विषयक प्रमुख मानकों (Index) की स्थिति

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 से जेंडर मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों में कोई गेप नहीं है।

जेंडर मुद्दों पर विभागों द्वारा पहल (initiative)

विभाग द्वारा जेंडर मुद्दों संबंधी संचालित योजनाओं में शत—प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं हेतु किया जाना सुनिश्चित किया गया है। विभाग द्वारा मुख्यतः विवाह, छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

केस स्टडी एवं गुड प्रैक्टिस

विभाग द्वारा अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल भोपाल के माध्यम से व्यवहार्यता (feasibility) केस स्टडी कराई गई है।

आगामी रणनीति

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में जेण्डर मुद्दों पर द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी अंतर्गत वर्गीकृत योजनाओं में महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये विभाग द्वारा आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

प्रमुख उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

वित्त विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी शत—प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी 40 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी में 30 प्रतिशत प्रावधान वाली योजनाओं को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा श्रेणीवार जेप्डर बजट दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में निम्नानुसार है :—

(राशि लाख में)

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान वर्ष 2021–22	जेप्डर बजट का प्रतिशत	व्यय वर्ष 2021–22		हितग्राही वर्ष 2021–22	
			महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
प्रथम श्रेणी (100 प्रतिशत)						
6692—मुख्यमंत्री निकाह योजना	400.00	100	59.27	0	116	0
6710—मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	5000.00	100	593.27	0	431	0
5863—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	39201.32	100	28982.05	0	536412	0
द्वितीय श्रेणी (40 प्रतिशत)						
5859—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ति पेंशन योजना	7302.92	32	1726.68	3669.21	31975	67949
6690—माता पिता भरण पोषण योजना	8.30	40	0.33	0.51	-	-
7084—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	5901.17	70	2643.42	1132.89	13216	5665
8786—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	114353.32	46	38989.60	45770.40	722028	847599
9142—समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	181613.99	73	119109.72	44054.28	1965023	726790
0073—बहुविकलांग को सहायता	1170.00	38	1193.96	1948.04	29060	47414
0075—अंध मूक बधिरों को वृत्तियाँ	500.00	40	12.70	19.06	-	-
6693—कन्या अभिभावक पेंशन योजना	4500.07	41	1098.39	1580.61	24567	35353
7083—अंत्येष्टि योजना	27.29	70	12.18	5.22	406	174
तृतीय श्रेणी (30 प्रतिशत)						
6694—कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	186.41	30	35.70	83.33	1310	3057
कुल	360164.80		194457.27	98263.55	3324544	1734001

विभागीय संचालित योजनाओं में बजट एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2021–22

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2021–22	वित्त विभाग द्वारा कटौत्रा की गई राशि	जारी आवंटन	व्यय दि. 31.12.21	प्रावधान विरुद्ध व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	{0075}	अंध मूक बधिरों को वृत्तियाँ	500.00	0.00	215.12	31.76	6.35
2	{0073}	अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान बहु विकलांग को सहायता	1170.00 5027.76	0.00 1005.55	759.95 3142.16	519.85 3142.16	44.43 62.50
3	{4114}	विश्व विकलांग वर्ष	27.28	5.45	20.40	8.73	32.00
4	{8786}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	114353.32	16129.45	84759.86	84759.86	74.12
5	{7084}	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	5901.17	1180.23	3784.11	3776.31	63.99
6	{5863}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	39201.32	6048.64	28993.19	28982.05	73.93
7	{5859}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	7302.92	1029.10	5668.68	5395.89	73.89
8	{6710}	मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना	5000.00	1000.00	860.76	593.27	23.73
9	{9142}	समग्र सामाजिक सुरक्षा पेशन	181613.99	1524.88	164386.71	163164.01	89.84
10	{6306}	आयुक्त निशक्तजन कार्यालय वेतन	49.91	2.49	30.74	25.57	51.23
11	{5259}	इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार	11.99	2.40	0.00	0.00	0.00
12	{6554}	समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	155.56	6.91	83.98	66.09	42.49
13	{0079}	दृष्टि, श्रवण बधिर शालायें तथा संस्थायें	1713.76	45.45	1138.21	992.19	57.90
14	{6677}	भिक्षुक गृह की स्थापना	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
15	{6686}	वृद्धजन हेतु एकीकृत कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	{6688}	नशामुकित सह पुनर्वास केन्द्रों की स्था.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	{6690}	माता पिता भरण पोषण योजना	8.30	1.66	6.64	0.84	10.12
18	{6691}	दधीचि पुरस्कार योजना	9.00	1.79	0.00	0.00	0.00
19	{6692}	मुख्यमंत्री निकाह योजना	400.00	80.00	100.47	59.27	14.82
20	{6693}	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	2000.00	400.00	2930.66	2678.56	59.52
21	{6694}	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	186.41	37.28	146.00	119.03	63.85
22	{7083}	अन्त्येष्टि सहायता योजना	27.29	5.46	17.61	17.40	63.76
23	{2083}	निःशक्तजनों को बी.एड. / बी.पी.एड	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
24	{2084}	श्रवण बाधित निःशक्तजनों को आई.टी.आई.प्रशिक्षण	200.05	40.01	0.00	0.00	0.00
25	{7569}	निःशक्तजनों को बाधारहित वातावरण	706.00	0.00	400.00	297.85	42.19
26	{9477}	नशीली दवा की मांग में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना	247.00	49.40	30.00	30.00	12.15
27	{9472}	ट्रांसजेण्डर का कल्याण एवं पुनर्वास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	{9642}	वरिष्ठजनों का कल्याण कार्यक्रम	150.00	30.00	0.00	0.00	0.00
29	{5389}	वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30	{2304}	निर्देशन और प्रशासन	5035.79	26.09	3364.64	3322.69	65.98
31	{3098}	भिक्षुक प्रवेश केन्द्र तथा कर्मशाला	34.78	0.24	23.97	23.50	67.57
32	{0795}	कलापथक	963.10	1.67	597.99	588.65	61.12
33	{1985}	दूरदर्शन कार्यक्रम	406.91	0.03	262.59	260.92	64.12
34	{5258}	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ	50.00	10.00	39.00	31.93	63.86
35	{2245}	नशाबंदी कार्यक्रम	73.00	14.60	50.48	31.32	42.90
36	{9470}	महात्मा गांधी कुष्ठ सेवा पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	{9917}	म.प्र.राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	372526.66	28678.78	301813.92	298919.70	80.23

भाग - 3

विभागीय कार्यक्रम

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 प्रदेश में प्रभावशील है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान

मध्यप्रदेश में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में 36 स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है एवं 26 संस्थाएं निराश्रित निधि से संचालित की जा रही है। सूची परिशिष्ट में।

उक्त संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षण–प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

वर्ष 2021–22 में रुपये 1170.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध दिसम्बर 2021 तक 519.85 लाख व्यय किया गया।

केन्द्रीय अनुदान

दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षण–प्रशिक्षण, पुनर्वास से संबंधित रु. 440.45 लाख के सहायक अनुदान संबंधी 14 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

कुष्ठ कल्याण योजना

कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रदेश में 3 विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाएं कार्यरत हैं। वर्ष 2021–22 में रुपये 50.00 लाख का बजट प्रावधान अंतर्गत दिसम्बर 2021 तक 31.93 लाख का व्यय किया गया। 96 कुष्ठ परिवार लाभान्वित हुए हैं।

दिव्यांग पेंशन योजना

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।
2. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो एवं परिवार आयकरदाता न हो, उनको प्रतिमाह रूपये 600/- की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।

बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता

मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी एवं बहुविकलांग को रूपये 600/- (रूपये छः सौ) प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.6.2009 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत माह जनवरी 2022 तक 76,474 दिव्यांगजन लाभांवित हुये हैं।

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

दम्पत्ति में से एक दिव्यांग तथा एक सामान्य होने पर रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख) प्रोत्साहन राशि दी जायेगी एवं दोनों के दिव्यांग होने पर रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) एक मुश्त सहायता राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना पर होने वाला व्यय निराश्रित निधि से किया जाता है, यदि दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह करता है तो रूपये 51,000/- अतिरिक्त सहायता दिये जाने के प्रावधान भी है। निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 12.8.2008 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर 2021 तक 622 हितग्राही लाभांवित हुये हैं।

दिव्यांगजनों हेतु हेल्प लाईन

दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं एवं मार्गदर्शन हेतु वर्ष 2008 से राज्य द्वारा टोल फ़ी दूरभाष हेल्प लाईन नंबर 1800–233–4397 निरंतर संचालित है, केन्द्र सरकार द्वारा भी दिव्यांगजनों हेतु हेल्प लाईन नम्बर 1800- 233- 5956 प्रारंभ किया है।

विभिन्न योजनाओं में लाभांवित हितग्राही

क्र.	योजना	हितग्राही		
		वित्तीय वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनवरी 2021 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनवरी 2022 की स्थिति में
1	छात्रवृत्ति	34,334	23,754	13,608
2	शिक्षा प्रोत्साहन योजना • लेपटाप वितरण • मोट्रेट साईकिल वितरण	118 439	31 850	95 641
3	उच्च शिक्षा हेतु फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता	77	3	13
4	छात्रगृह योजना (आवास सहायता योजना)	122	0	0
5	सिविल सेवा प्रोत्साहन	05	01	2
6	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण	5,065	6006	4367
7	दिव्यांग पेंशन	4,62,421	5,45,560	5,78,892
8	ऑटिज्म, सेरेबल पॉलसी, मानसिक एवं बहुविकलांग दिव्यांगों को सहायता	75,514	75,756	76,474
9	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन	1118	765	622
10	यूडीआईडी कार्ड	371401	5,66,912	6,88,029

प्रदेश के सभी दिव्यांगजनों को भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य 6.60 लाख के विरुद्ध 6.88 लाख (104.24%) यूडीआईडी कार्ड बनाये जा चुके हैं, निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त भी कोई दिव्यांग न छूटे इस संबंध में शेष रहे समस्त दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है।

दिव्यांग विवाह में वर्षवार लाभांवित हितग्राही एवं व्यय की स्थिति

वर्ष	हितग्राही	व्यय (लाख में)
2008–09	103	25.75
2009–10	207	53.00
2010–11	738	144.82
2011–12	1141	286.96
2012–13	1775	369.77
2013–14	1514	498.50
2014–15	779	214.50
2015–16	1058	599.50
2016–17	1267	735.50
2017–18	1321	1016.50
2018–19	1282	1930.00
2019–20	1118	1962.50
2020–21	765	1304.00
2021–22 (दिसम्बर 2021)	622	1028.50
योग	13068	9141.30

विश्व विकलांग दिवस

विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के सामर्थ्य एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 से विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में रूपये 27.28 लाख का प्रावधान किया गया है। कोविड-19 की गार्डलाईन का ध्यान रखते हुए प्रत्येक जिला स्तर पर दिव्यांग बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिताएं, वाद-विवाद, सांस्कृतिक, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

कौशल विकास प्रशिक्षण

दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्यवाही की गई है। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय स्थित आईटीआई में शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु 60 दृष्टिबाधित तथा 81 श्रवण बाधितों को इस प्रकार कुल 141 निःशक्तजनों को विभिन्न ट्रेड में प्रवेशित कराया गया है।

इन आईटीआई में विभिन्न ट्रेड्स यथा कोपा, एम.ओ.एम., विद्युत, प्रोडक्शन, मेकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, फैशन डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, आफिस असिस्टेंट आदि ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जाता है।

मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

सहायता का स्वरूप

निःशक्तता की श्रेणी	सामग्री	पात्रता शर्तें
दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं मंदबुद्धि	लेपटॉप	9वीं में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होन पर 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार)
अस्थिबाधित	लेपटॉप	9वीं में प्राप्तांक 60 प्रतिशत होन पर 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार)
अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्यूनतम 60 प्रतिशत निःशक्तता)	मोट्रेट ट्रायसिकल (बैटरी चलित)	10 वीं प्रथमबार प्रवेश लेने पर अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर (एक ही बार)

नोट : दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर एक बार लेपटाप प्राप्त करने पर आईटीआई में प्रवेश लेने पर पात्रता नहीं आयेगी।

सामाजिक सहायता कार्यक्रम

भारत सरकार के कार्यक्रम

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को उनकी पात्रतानुसार प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है :—

1. 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि रूपये 200/- केन्द्रांश एवं राज्य सरकार द्वारा राशि रूपये 400/- (राज्यांश) इस प्रकार कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है।
2. 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि रूपये 500/- केन्द्रांश एवं राशि रूपये 100/- राज्यांश इस प्रकार कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर 2021 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

राशि करोड़ में

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2021–2022	1143.53	847.60	15,69,627

इस योजना में निर्धारित पात्रता के अनुसार 6,17,870 अन्य हितग्राही भी पात्र पाये गये हैं किन्तु भारत सरकार की कैप निर्धारित होने की वजह से इन 6,17,870 हितग्राहियों के मासिक पेंशन की सम्पूर्ण राशि का भुगतान (दिसम्बर 2021 तक राशि रूपये 333.65 करोड़) राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शीर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को प्रतिमाह राशि रूपये 300/- केन्द्रांश एवं राशि रूपये 300/- राज्यांश इस प्रकार कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर 2021 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

राशि करोड़ में

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2021–2022	392.01	289.82	5,36,412

इस योजना में निर्धारित पात्रता के अनुसार 4,22,632 अन्य हितग्राही भी पात्र पाये गये हैं किन्तु भारत सरकार की कैप निर्धारित होने की वजह से इन 4,22,632 हितग्राहियों के मासिक पेंशन सम्पूर्ण राशि का भुगतान (दिसम्बर 2021 तक राशि रूपये 228.22 करोड़) राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शीर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन जिनकी निःशक्तता 80 प्रतिशत या अधिक हो, को प्रतिमाह राशि रूपये 300/- केन्द्रांश एवं राशि रूपये 300/- राज्यांश इस प्रकार कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही भुगतान किया जा रहा है।

योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर 2021 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :–

वर्ष	आवंटन	व्यय	राशि करोड में हितग्राही
2021–2022	73.03	53.96	99,924

इस योजना में निर्धारित पात्रता के अनुसार 601 अन्य हितग्राही भी पात्र पाये गये हैं किन्तु भारत सरकार की कैप निर्धारित होने की वजह से इन 601 हितग्राहियों के मासिक पेंशन की सम्पूर्ण राशि का भुगतान (दिसम्बर 2021 तक राशि रूपये 0.32 करोड़) राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शीर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य (स्त्री/पुरुष) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है। यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 20,000/-की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर 2021 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :–

वर्ष	आवंटन	व्यय	(राशि रूपये करोड में) हितग्राही
2021–2022	59.01	37.76	18881

प्रदेश सरकार के कार्यक्रम

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य शासन द्वारा वर्ष जनवरी 1981 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में योजनांतर्गत कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

पात्रता के मापदण्ड –

क्र.	श्रेणी	हितग्राही
1	60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध	2,77,021
2	18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा (कल्याणी) जो आयकरदाता न हो	9,34,682
3	50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता, जो आयकरदाता न हो	2,229
4	18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो	34,660
5	6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक एवं आयकरदाता न हो	4,01,893
6	वरिष्ठ आश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है।	225
	योग	16,50,710

राष्ट्रीय योजनाओं के कैप के अतिरिक्त

1	60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल वृद्ध (IGNOAP कैप के अतिरिक्त)	6,17,870
2	40 वर्ष से अधिक आयु की बीपीएल विधवा (कल्याणी) (IGNWP कैप के अतिरिक्त)	4,22,632
3	18 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो (IGNDP कैप के अतिरिक्त)	601
	योग	10,41,103
	महायोग	26,91,813

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला बड़वानी में नेत्र संक्रमित 56 हितग्राहियों को रूपये 5000/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदाय की जा रही है।

योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 की स्थिति में व्यय, हितग्राहियों व बजट प्रावधान की जानकारी तालिका अनुसार है :–

(राशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2021–2022	1816.14	1631.64	26,91,813

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, तथा आयकरदाता न हो ऐसे हितग्राही को राशि रूपये 600/- प्रतिमाह पेंशन प्रदाय की जाती है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 की स्थिति में व्यय, हितग्राहियों व बजट प्रावधान की जानकारी तालिका अनुसार है :—

(राशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2021–2022	45.00	26.79	59,920

छ: वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग एवं बहुविकलांगों को आर्थिक सहायता

यह योजना प्रदेश में 18.06.2009 से प्रभावशील है। मध्यप्रदेश के छ: वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म से ग्रसित दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। वर्तमान में योजनांतर्गत कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर 2021 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

(राशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2021–2022	50.28	31.42	76,474

अन्त्येष्टि सहायता योजना

योजना 13 अगस्त 2013 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत मृतक मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य होने पर एवं लावारिस शव जिसकी कोई पहचान नहीं है और उस शव के अंतिम संस्कार हेतु कोई तैयार नहीं हो, उनके अंतिम संस्कार हेतु राशि रूपये 3000/- की सहायता प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर 2021 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

(राशि लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2021–2022	27.29	17.40	580

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

सहायता

शासन आदेश क्रमांक/एफ 3-39/2017/26-2 भोपाल दिनांक 14.01.2019 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं :—

- योजनांतर्गत सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थित अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को रूपये 3000/-प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रूपये 48000/-संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में इस प्रकार कुल राशि रूपये 51000/- प्रति कन्या प्रदाय किये जाने का प्रावधान है!
- सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह/निकाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा का बंधन नहीं है।
- आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह में कन्या विवाह सहायता राशि दी जाये।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वर्षवार आवंटन, व्यय एवं लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार तालिका में वर्णित है :—

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2006-2007	1000.00	1327.00	13,498
2007-2008	1920.00	1362.00	33,321
2008-2009	2618.00	4329.00	43,737
2009-2010	2500.00	2485.00	19,597
2010-2011	3801.00	3964.70	39,647
2011-2012	4201.00	4156.40	36,651
2012-2013	6787.80	6787.80	45,252
2013-2014	12592.00	10452.22	55,334
2014-2015	10915.00	6074.59	20,077
2015-2016	20679.20	11775.29	44,835
2016-2017	15436.81	11204.87	44,818
2017-2018	15000.00	9644.88	34,446
2018-2019	15000.00	14999.53	50,154
2019-2020	31506.17	20291.25	42,088
2020-2021	14290.00	12158.42	20,900
2021-2022 (दिसम्बर 2021)	5000.00	593.27	431
कुल	163246.98	121606.22	5,44,786

नोट— योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 (दिसम्बर 2021 तक) में कोविड-19 के दृष्टिगत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लंबित हितग्राहियों को वर्ष 2020-21 के प्राप्त आवंटन से भुगतान किया गया है। वर्ष 2021-22 में प्राप्त बंटन से पूर्व के लंबित हितग्राहियों का भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री निकाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरुरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012 से प्रभावशील की गई है। योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रूपये 51,000/- प्रदान की जाती है। जिसमें 48000 रूपये कन्या के बचत खाते में तथा 3000 रूपये आयोजक के खाते में जमा कराये जाते हैं।

मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत आवंटन, व्यय एवं हितग्राहियों की वर्षवार जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2012–2013	200.00	260.90	1766
2013–2014	800.00	474.60	2579
2014–2015	200.00	123.25	1248
2015–2016	500.00	381.31	2139
2016–2017	900.00	329.47	1666
2017–2018	1000.00	470.75	1681
2018–2019	900.00	755.72	2265
2019–2020	1659.37	1015.73	3049
2020–2021	1869.00	1672.80	3280
2021–2022 (दिसम्बर 2021)	400.00	59.27	116
कुल	8428.37	5543.80	19,789

योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 (दिसम्बर 2021 तक) में कोविड-19 के दृष्टिगत सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2019–20 के 3280 लंबित हितग्राहियों को वर्ष 2020–21 के प्राप्त आवंटन से भुगतान किया गया है। वर्ष 2021–22 में प्राप्त बंटन से पूर्व के लंबित हितग्राहियों का भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना शासन के पत्र क्रमांक एफ/3–5/2018/26–2 भोपाल दिनांक 03.05.2018 से प्रदेश में प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु की कल्याणी जो आयकरदाता न हो तथा कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो, को विवाह सहायता हेतु राशि रूपये 2,00,000/-की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 446 हितग्राही, वर्ष 2020–21 में 304 हितग्राही एवं वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 तक 365 हितग्राहियों को भुगतान मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत किया गया है। कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह सहायता योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना एवं निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

समाज रक्षा

वरिष्ठ आश्रम

वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण, पुनर्वास एवं संरक्षण के लिये प्रदेश में वरिष्ठ आश्रमों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। इन वरिष्ठ आश्रमों में उपेक्षित, निराश्रित एवं जरूरतमंद वरिष्ठजनों को आश्रय, भरण–पोषण, चिकित्सकीय परीक्षण, उपचार एवं मनोरंजन व पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वरिष्ठजनों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु अवसर प्रदान किया जा सके।

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील हैं। अधिनियम के अध्याय–3 में धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत वरिष्ठ आश्रमों की स्थापना करने का प्रावधान नीहित है।

प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं, पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों के माध्यम से 79 वरिष्ठ आश्रम संचालित हैं। सूची परिशिष्ट में दर्शित है।

नेशनल एक्शन प्लान फार सीनियर सिटीजन (NAPSrC)

भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नेशनल एक्शन प्लान फार सीनियर सिटीजन अंतर्गत समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (IPSRc) की उप योजना अटल वयो अभ्युदय योजना अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों का अनुरक्षण व संचालन, अल्जाइमर्स डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिये सतत देखभाल गृह, फिजियोथेरेपी विलनिक, क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों में संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रम, वरिष्ठजनों के लिये जागरूकता सृजन कार्यक्रम के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का क्रियान्वयन

- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील।
- उक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा म0प्र0 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009, अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2009 से प्रभावशील।

- धारा 7 (1) के तहत प्रदेश के समस्त जिलों के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय भरण—पोषण अधिकरण घोषित है।
- धारा 15 (1) के तहत प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट अपील अधिकरण घोषित है।
- धारा 18 (1) के तहत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के समस्त जिला अधिकारी, भरण पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित घोषित है।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

- वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक, जो कि अपने आयु अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अभिभावक में सगे और दत्तक माता—पिता और सौतेले माता और पिता सम्मिलित हैं।
- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबंधितों से भी भरणपोषण की मांग कर सकता है, जिसका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक संज्ञेय अपराध है, जिसके लिये रुपये 5000/- का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं।
- अधिकरण द्वारा मासिक भरणपोषण हेतु अधिकतम राशि रुपये 10,000/- प्रतिमाह तक का आदेश किया जा सकता है।
- सभी शासकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध कराया जाता है तथा चिकित्सालयों में विशेष पंक्तियों का प्रबंध किया गया है।

अधिकरणों द्वारा निराकृत प्रकरण

- समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में गठित भरण—पोषण अधिकरण में कुल 367 प्रकरण दर्ज जिसमें से 212 निराकृत एवं 155 लंबित।
- जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट अपील अधिकरणों में कुल दर्ज प्रकरण 28 जिसमें से 20 निराकृत एवं 08 लंबित।

मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 (संशोधन)

- मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009 का नियम 21 में उप नियम (2) जोड़कर, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य परिषद् का गठन किया गया है।
- माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण नियम 2(1) में खण्ड (घ) के पश्चात् (घ क) में 'म.प्र. शासन के अधीन कार्यरत् शासकीय विभाग, अर्द्ध शासकीय उपक्रम, बोर्ड, निकायों के अधिकारी, कर्मचारी जो अपने माता—पिता की उपेक्षा करते हैं, ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत या अधिकतम 10,000/- काटकर, भरण—पोषण भत्ता, आवेदक माता—पिता के बैंक खातें में जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

वरिष्ठजन हेतु Elder line (हेल्प लाईन)

भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठजनों हेतु टोल फ़ी Elder line (हेल्प लाईन) नम्बर 14567 हेल्प एज इंडिया शाखा भोपाल के माध्यम से दिनांक 17 मई 2021 से संचालित है। प्रदेश में नेशनल हेल्प लाईन द्वारा वरिष्ठजनों से संबंधित जानकारी, सुझाव, भावनात्मक सहयोग, दुर्घटना, दुर्व्यवहार से बचाव के लिये जानकारी प्रदान की जाती है। यह सेवा, बुजुर्गों की सहायता हेतु प्रातः 8:00 से सांय 8:00 बजे तक उपलब्ध है।

पेड ओल्ड एज होम की स्थापना

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आभिजात्य वर्ग के सक्षम एकाकी जीवन जीने वाले वरिष्ठजनों हेतु भोपाल में एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त पेड ओल्ड एज होम का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें 56 वरिष्ठजनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक रहने की सुविधा जिसमें वातानूकूलित कक्ष, लायब्रेरी, मनोरंजन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, फिजीयोथेरेपी कक्ष, मेडीकल स्टोर, ए.टी.एम. जैसी अनेक सुविधाएँ होगी। पेड ओल्ड एज होम लिंक रोड नम्बर 3 पर पांच एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि रूपये 10.83 करोड़ होगी।

नशामुक्ति कार्यक्रम

समाज में नशा सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति, खासकर युवा वर्ग को नशे की लत से दूर करने के लिये प्रचार-प्रसार के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को बताया जाकर, नशामुक्ति के लिये वातावरण तैयार किया जा रहा है। इस हेतु कलापथक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कलामण्डलियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों के माध्यम से जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

नशामुक्ति कार्यक्रम अन्तर्गत, 31 मई 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस', 26 जून 'अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस' 2 से 8 अक्टूबर 'मद्य निषेध सप्ताह' तथा 30 जनवरी को 'संकल्प दिवस' का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया गया। इस अवसर पर कोविड-19 के तहत जारी गाइड लाइन के दृष्टिगत ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिताएं, वर्चुअल व्याख्यान, वेबीनार, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पर संदेश आदि कार्यक्रम आयोजित कराये गये हैं।

नशामुक्ति के लिये सघन प्रचार प्रसार का कार्य करने के लिये विभागीय मान्यता प्राप्त 205 स्वैच्छिक संस्थाएँ कार्यरत हैं। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/संचालन के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में 17 नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र (Integrated Rehabilitation Centre for Addicts (IRCA)) संचालित है। 09 आउटरीच एण्ड ड्रॉप इन सेंटर (Out Reach Drop In Centre (ODIC)) तथा 03 कम्युनिटी पेरस्ट फीयर-लेड इंटरवेंशन सेंटर (Community Based Peer-Led Intervention (CPLI)) संचालित है। सूची संलग्न है।

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नशीली दवा की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना अंतर्गत दिनांक 15 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2022 तक "नशामुक्त भारत अभियान" देश के 272 जिलों में क्रियान्वित हैं जिसमें मध्यप्रदेश के 15 जिले यथा भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, सागर, नर्मदापुरम, दतिया, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, सतना, एवं छिन्दवाड़ा सम्मिलित किये गये हैं।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशामुक्ति के लिए ई-शपथ "जिन्दगी को हाँ और नशे को ना कहें" संकल्प जन आन्दोलन के रूप में चलाया जा रहा है। ई-शपथ लेने के उपरांत गृह मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया जा रहा है। प्रदेश में 4.6 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा ई-शपथ ली गई है।

कलापथक कार्यक्रम

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को क्षेत्रीय प्रचलित लोक शैली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे लोकगीत लोकनाट्य एवं लोकनृत्य के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से वर्ष 1955 से निरंतर विभाग में कलापथक योजना संचालित है। योजना के तहत प्रदेश के 38 जिलों में एक कलापथक इकाई कार्यरत है। योजनान्तर्गत प्रत्येक कलापथक दल में एक प्रमुख कलाकार एवं सात सहयोगी कलाकार रहते हैं। जिसमें प्रत्येक दल को प्रति माह में कुल 12 कार्यक्रम प्रदर्शन किया जाना निर्धारित है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का क्रियान्वयन

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को, जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हो, को कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है। न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरणों पर परिवीक्षा अधिकारी से अपराधी के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त कर परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश पारित किया जाता है तथा निर्धारित अवधि तक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखने का आदेश भी दिया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध हैं।

भिक्षावृति निवारण योजना

मध्यप्रदेश भिक्षावृति निवारण अधिनियम, 1973 प्रदेश के समस्त जिलों में दिनांक 3.2.2018 से प्रभावशील है। प्रदेश में एक भिक्षुक प्रवेश गृह एवं प्रमाणित संस्था इन्दौर में संचालित हैं। संस्था द्वारा वर्ष 2021–22 में कुल 50 भिक्षुकों को लाभांशित किया गया।

ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019

ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों की संरक्षण) अधिनियम 2019 दिनांक 10 जनवरी 2020 से प्रभावशील है। उक्त अधिनियम के प्रावधानुसार ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किया जाना, इस हेतु भारत सरकार के पोर्टल <http://transgender.dosje.gov.in> पर सीधे आवेदन किया जा सकता।

देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश के भोपाल जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 08.01.2021 को ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किया है।

प्रदेश में दिनांक 03.02.2022 की स्थिति में 448 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किये गये हैं तथा 26 जनवरी 2021 की विशेष ग्राम सभाओं में उभयलिंगी (ट्रांसजेण्डर) व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 एवं नियम 2020 का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम सभा में इस एजेण्डा को शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति(अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021 का प्रारूप नियम का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 नवम्बर 2021 में किया गया है।

पुरस्कार योजनाएं

नशामुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना

योजना 16 फरवरी 2018 से प्रारंभ है। प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत जहां निवासरत युवा, वृद्ध तथा महिलाएं नशामुक्त जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसी नशामुक्त ग्राम पंचायत को नशामुक्ति के लिये उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार राशि रूपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र (प्रति जिला प्रति पंचायत) दिया जाता है।

योजना के लाभ हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, आवेदन पत्र जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करते हैं। कुल प्राप्त प्रविष्टियों में से निर्णायक मण्डल द्वारा नशामुक्ति की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायत का चयन पुरस्कार हेतु किया जाता है। चयनित ग्राम पंचायत को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कार राशि व प्रशंसा पत्र दिये जाने का प्रावधान है। इस पुरस्कार से दतिया जिले की ग्राम पंचायत बस्तूरी जनपद पंचायत सेंवढा को नशामुक्त ग्राम पंचायत से दिनांक 26 जनवरी 2022 को पुरस्कृत किया गया।

विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार

नशामुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/ स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिये विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदान करने की योजना संचालित है। नशामुक्ति की दशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी/स्वैच्छिक संगठन को विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार जिला स्तर पर राशि रूपये 10 हजार, राज्य स्तर पर रूपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना

राज्य स्तर पर व्यक्तिगत/संस्था को निःशक्त कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना दिनांक 14.8.2008 से प्रारंभ की गई है। उक्त पुरस्कार विकलांगता की चारों श्रेणियों अस्थिबाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक मंदता के क्षेत्र में पृथक—पृथक प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रथम पुरस्कार स्वरूप रूपये 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार रूपये 50 हजार तथा तृतीय पुरस्कार रूपये 25 हजार, शाल श्रीफल एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार

समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/संस्थाओं को प्रतिवर्ष एक राज्य स्तरीय समाज सेवा पुरस्कार देने की योजना है। प्रदेश में निवास कर रहे दिव्यांग, वृद्ध, दुर्बल एवं निराश्रित निर्धन, पीड़ित एवं शोषित महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं/संस्थाओं को उनकी वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने एवं महिमा मंडित करने के उद्देश्य के तहत राज्य शासन द्वारा इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में राशि रूपये 10 लाख एवं प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है।

नोट— कोविड-19 के दृष्टिगत इस वर्ष पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010

मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2010 से संपूर्ण मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर विभिन्न विभागों की सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी तथा निश्चित की गई समय—सीमा को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में अधिनियम की धारा 3 अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की निम्नलिखित सेवाएं अधिसूचित हैं :—

क्र.	सेवा क्रमांक	सेवाएं
1	7.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना
2	7.2	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना
3	7.3	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना
4	7.4	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त विवाह योजना की प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय
5	7.5	राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना
6	7.6	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रदाय
7	7.7	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अ) सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन ब) गैर—सामूहिक विवाह करने पर लाभ प्रदान करना
8	7.8	मुख्यमंत्री निकाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन
9	7.9	मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
10	7.10	निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
11	7.11	मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना
12	7.12	छ: वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना
13	7.13	निःशक्त विद्यार्थियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
14	7.14	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत विभाग की अधिसूचित सेवाओं के कुल **59990** पूर्ण आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें से कुल **59981** आवेदनों का निराकरण कराया गया है।

आयुक्त निःशक्तजन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 79 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में श्री संदीप रजक, आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ है।

आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश को अधिनियम 2016 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के कृत्य निम्नानुसार है :—

- स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंधों या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत है और आवश्यक सुधारकों उपायों की सिफारिश करेगा,
- स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जांच करेगा जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले उठायेगा,
- इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा,
- उन कारकों का पुर्विलोकन करेगा जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा,
- दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा,
- दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा,
- दिव्यांगजनों के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करेगा,
- दिव्यांगजनों के फायदे के लिए राज्य सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग करेगा, और
- ऐसे अन्य कृत्यों को करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

अधिनियम की धारा 82 के अनुसार आयुक्त निःशक्तजन की शक्तियाँ

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना,
- (ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,
- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना,

- (घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, और
- (ड) किसी साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

दिव्यांगजनों की प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों का निराकरण

आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के कार्यालय में 164 प्रकरण इस वर्ष पंजीकृत हुए हैं। जिनमें से 57 प्रकरणों का निराकरण किया गया। न्यायालय, आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश में 04 प्रकरण प्रचलित एवं 02 निराकृत हैं। निराकृत एवं 107 प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलन में है। आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश द्वारा जिला डिण्डोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, सीहोर, बडवानी, सिवनी, धार, रायसेन, शहडोल, मण्डला, छिंदवाड़ा, इंदौर, खरगौन एवं सतना में एडव्होकेसी/समीक्षा बैठक की गई।

एडव्होकेसी बैठक

आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन एवं विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की मॉनिटरिंग हेतु वर्ष 2021–22 में 33 एडव्होकेसी/समीक्षा बैठकें की गईं। जिसमें दिव्यांगजनों के लिये संचालित योजनाओं एवं अधिनियम/नियम के संदर्भ में कार्यवाही करने हेतु विभागों के अधिकारियों को प्रेरित किया गया।

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 31 मार्च 2020 के तारतम्य में राज्य आयुक्त निःशक्तजन को कोरोना कोविड-19 महामारी में दिव्यांगजनों की सुरक्षा हेतु राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं हित संरक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जिसके तहत राज्य आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश एवं नोडल अधिकारी दिव्यांगजन द्वारा दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं हित संरक्षण हेतु मध्यप्रदेश राज्य के लिए वाट्सअप ग्रुप बनाया जाकर मध्यप्रदेश के विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय/अशासकीय संस्थाओं को जोड़कर सतत मार्गदर्शन एवं निर्देशों को समय—समय पर फालोअप किया गया एवं आदेश निर्देश जारी किये जाकर दिव्यांगजनों को आवश्यकतानुसार सहायता उपलब्ध कराई गई साथ ही दूसरे राज्यों में लॉकडाउन अवधी में रुके हुए दिव्यांगजनों को उनके निवास स्थान तक पहुँचाया गया। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में दिव्यांगजनों हेतु जारी दिशा—निर्देशों का पालन करवाया गया।

मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन



पात्रता से अधिकारिता की ओर बढ़ते कदम...

राज्य शासन के विभागों के माध्यम से संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं और उनके अवयवों की भिन्नता को दूर करने एवं सरलीकृत व्यवस्था और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए विभिन्न योजनाओं के एकीकृत पटल की स्थापना के उद्देश्य हेतु मध्यप्रदेश की विधानसभा में दिनांक 14 मई 2010 को 'संकल्प क्रमांक-37 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम' पारित किया गया तथा 30 अप्रैल 2012 को मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त परिवारों व सदस्यों का एकीकृत डेटाबेस तैयार किया गया। समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) के माध्यम से मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, पंजीकृत श्रमिकों, दिव्यांगजनों के साथ-साथ कन्याओं, कल्याणियों और परित्यक्त महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों, सम्पूर्ण परिवार एवं सदस्यों को पात्रतानुसार विभिन्न योजनाओं जैसे कि— पेंशन, छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं विवाह सहायता इत्यादि का लाभ संबंधित विभाग द्वारा दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ1-8 / 2016 / एक(1) भोपाल, दिनांक 04 / 09 / 2020 में समग्र डेटाबेस तथा एप्लिकेशन के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है :—

1. समग्र डेटाबेस तथा एप्लिकेशन का संधारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाये।
2. समग्र डेटाबेस को अन्य डेटाबेस की सहायता से और समृद्ध एवं उपयोगी बनाया जाये।

मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 296 / 3600 / 2007 / एक(1), दिनांक 28.01.2008 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन सामान्य वर्ग के हितार्थ किया गया था। तदोपरांत समय—समय पर आयोग के कार्यकाल में एक—एक वर्ष की वृद्धि की जाती रही एवं वृद्धि के आदेशों का मंत्रि—परिषद से अनुसमर्थन प्राप्त किया गया।

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1—15 / 2013 / 16—1 / 754, दिनांक 10.09.2021 द्वारा श्री शिव कुमार चौबे को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 3—32 / 2021 / एक(1), दिनांक 10.09.2021 द्वारा मध्यप्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष को राज्य शासन के मंत्री का दर्जा प्रदाय किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 1235 / 1338 / 2021एक(1), दिनांक 15.09.2021 से आयोग का नाम परिवर्तित कर मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग किया गया है। श्री शिव कुमार चौबे द्वारा दिनांक 15.09.2021 को आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर दिनांक 21.10.2021 से आयोग कार्यालय का कार्य प्रारंभ किया गया है।



आयोग की समीक्षा करते हुए मान. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के विषय विचारार्थ बिन्दु निम्नानुसार है :—

- प्रदेश में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण करने हेतु हितग्राहियों का चिन्हांकन करना।
- सामान्य वर्ग के समग्र कल्याण संबंधी बिन्दुओं पर विचार करना।
- प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों के कल्याण की दिशा में राज्य शासन को नई कार्य योजनायें बनाने, पुराने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने तथा आनुषांगिक विषयों पर सुझाव देना।
- प्रदेश में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु सुझाव देना।

भाग - 4

सामान्य प्रशासनिक विषय

संसदीय कार्य

वर्ष में प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भेजे गये ।

सूचना का अधिकार

विभाग की सभी योजनाओं एवं कार्यों के संबंध में जनसामान्य को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जनवरी 2022 की स्थिति में निराकृत प्रकरणों की स्थिति निम्नवत् है :—

प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
95	94	1

विभागीय स्थापना से संबंधित विषय

विभागाध्यक्ष स्तर पर स्वीकृत पद

1	आयुक्त / संचालक	आई.ए.एस.	1
2	मिशन संचालक	आई.ए.एस.	1
3	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	1
4	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	3
5	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	4
6	कार्यपालन यंत्री	प्रथम श्रेणी	1
7	सहायक संचालक संवर्ग	द्वितीय श्रेणी	18
8	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	2

क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत पद

1	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	7
2	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	45
3	प्राचार्य शासकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, जबलपुर	प्रथम श्रेणी	1
4	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	27
5	सहायक यंत्री (स.संचा. तकनीकी)	द्वितीय श्रेणी	1
6	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	द्वितीय श्रेणी	1

7	अधीक्षक, भिक्षुक प्रवेश केन्द्र	द्वितीय श्रेणी	1
8	अधीक्षक, श्रवण बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
9	अधीक्षक, दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
10	अधीक्षक, राजकीय प्रौढ़ श्रवण बाधितार्थ तथा मूक प्रशिक्षण संस्थान इंदौर	द्वितीय श्रेणी	1
11	अधीक्षक, राजकीय अस्थिबाधित कल्याण संस्थान, जबलपुर	द्वितीय श्रेणी	1
12	अधीक्षक, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह	द्वितीय श्रेणी	7
13	अधीक्षक, अस्थि बाधित बालगृह इंदौर तथा बैतूल	द्वितीय श्रेणी	2
14	संभागीय व्यवस्थापक	द्वितीय श्रेणी	6
15	व्याख्याता, दृष्टिबाधित	द्वितीय श्रेणी	22
16	व्याख्याता, श्रवणबाधित	द्वितीय श्रेणी	18
17	व्याख्याता, अस्थिबाधित	द्वितीय श्रेणी	8
18	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	10
19	समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	तृतीय श्रेणी	427
20	कम्प्यूटर ऑपरेटर सह सहायक ग्रेड 3	तृतीय श्रेणी (संविदा)	427

पदोन्नति

वर्ष के दौरान पदोन्नति नहीं हुई है।

नवीन नियुक्ति

वर्ष के दौरान 7 नवीन नियुक्ति हुई हैं।

समयमान वेतनमान

वर्ष 2021–22 में विभाग के 16 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान प्रदान किया गया।

अनुकम्पा नियुक्ति

वर्ष के दौरान 09 अनुकम्पा नियुक्ति हुई है।

कोविड अनुकम्पा नियुक्ति

वर्ष के दौरान 05 कोविड अनुकम्पा नियुक्ति हुई है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में विभाग अंतर्गत दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक कुल 46554 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुल 43721 शिकायतों को संतुष्टि के साथ निराकृत कराया गया है। इस प्रकार लगभग 93 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण शिकायतकर्ता से संतुष्टि से कराया गया है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन कार्यालय द्वारा प्रतिमाह जारी की जाने वाली ग्रेडिंग में विभाग अप्रैल 2021 से लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रथम 5 विभागों में सम्मिलित रहा है। उल्लेखनीय है कि विभाग को 2 बार माह अक्टूबर 2021 एवं दिसंबर 2021 माह में ग्रेडिंग में प्रथम स्थान एवं माह सितंबर 2021 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। शेष माहों में विभाग को टॉप 5 विभागों में स्थान प्राप्त हुआ है।

विभागीय जांच

विभागीय जांच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है –

संवर्ग	वर्ष 2021 प्रारम्भ में लंबित	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	1 जनवरी 2022 अंत तक लंबित प्रकरण
--------	------------------------------	-------------------------	----------------	----------------------------------

शासन स्तर

प्रथम श्रेणी	6	0	3	3
द्वितीय श्रेणी	—	—	—	—

संचालनालय श्रेणी

प्रथम श्रेणी	—	—	—	—
द्वितीय श्रेणी	—	—	—	—
तृतीय श्रेणी	2	—	2	—
चतुर्थ श्रेणी	1	—	1	—

न्यायालयीन प्रकरण

अप्रैल, 2021 तक की स्थिति में प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	कुल न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या
80	32	112

वादोत्तर की स्थिति

गत वर्ष के वादोत्तर हेतु प्रचलित प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 तक प्रस्तुत किये गये वादोत्तर की संख्या	जनवरी 2022 की स्थिति में शेष लंबित वादोत्तर की संख्या
40	32	10	62

निर्णय पालन की स्थिति

अप्रैल 2021 की स्थिति में पालन हेतु लंबित निर्णय की संख्या	अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 तक प्राप्त निर्णयों की संख्या	अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 तक पालन किये गये निर्णयों की संख्या	दिसम्बर 2021 को पालन हेतु शेष निर्णयों की संख्या	निर्णय की संख्या जिनके विरुद्ध अपील / विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत / प्रस्तावित है।	अवमान ना प्रकरणों की संख्या
8	5	4	9	3	4

उपलब्धियाँ

- दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार

3 दिसम्बर 2021 विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश को दिव्यांगता के क्षेत्र में निम्न तीन राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया –

1. श्री संतोष लालवानी, श्रेणी-रक्त विकार के कारण होने वाली दिव्यांगता
 2. ग्रामीण आदिवासी समाज छिंदवाड़ा, श्रेणी-दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाला सर्वश्रेष्ठ संस्थान
 3. जिला इंदौर मध्यप्रदेश, श्रेणी- पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिला
- यू.डी.आई.डी. कार्ड – दिव्यांगजनों की विशिष्ट पहचान एवं विभिन्न शासकीय लाभों को प्राप्त करने हेतु समस्त दिव्यांगजनों को यूनिक कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 6.60 लाख दिव्यांगजन के विरुद्ध 6.90 लाख (104.54%) यू.डी.आई.डी कार्ड बनाये जा चुके हैं।
 - कोविड-19 में दायित्वों का निर्वहन- प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न हुई चुनौतियों को बेहतर रूप से संभालने हेतु सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को चिकित्सालयों में बेड उपलब्धता, चिकित्सीय जांचों की दरें, ऑक्सीजन की उपलब्धता की प्रतिदिन डेटा इंट्री की सतत समीक्षा एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा बिलिंग के संबंध में प्राप्त शिकायतों के ऊपर की जाने वाली कार्यवाही हेतु दिये गये दायित्व का निर्वहन सफलतापूर्वक किया गया है।

सारांश

1. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को राज्य शासन द्वारा जो दायित्व सौंपे है, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है।
2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यक्रम के माध्यम से **50.34 लाख** से अधिक पेंशन हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।
3. मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह एवं कल्याणी विवाह योजना के अन्तर्गत योजना प्रारंभ से जनवरी 2022 तक **5.64 लाख** कन्याएं लाभांवित हो चुकी हैं।
4. ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों की संरक्षण) अधिनियम 2019 दिनांक 10 जनवरी 2020 से प्रभावशील है। उक्त अधिनियम के प्रावधानुसार ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किया जाना। प्रदेश में 446 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किये गये हैं।
5. इस तरह समाज के कमजोर वर्ग, निराश्रित, दिव्यांगजन, वरिष्ठजन, उभयलिंगी व्यक्ति, कल्याणी, अविवाहिता और परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

i. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय संस्थाएं

जिला	क्र.	संस्था का नाम
1. ग्वालियर	1	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर
	2	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, ग्वालियर (बालक / बालिका)
2. जबलपुर	3	शासकीय श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर
	4	शासकीय दृष्टि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर
	5	शासकीय राज्य अपंग कल्याण संस्थान, जबलपुर
	6	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, जबलपुर (बालक / बालिका)
3. इंदौर	7	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर
	8	अधीक्षक शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंदौर
	9	अधीक्षक शासकीय राजकीय प्रौढ़ बाधितार्थ प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर
	10	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, इंदौर (बालक / बालिका)
4. उज्जैन	11	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ (बालिका) उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय, उज्जैन
	12	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, उज्जैन (बालक / बालिका)
5. भोपाल	13	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल
	14	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, भोपाल (बालक / बालिका)
6. रीवा	15	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रीवा
	16	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, रीवा (बालक / बालिका)
7. सागर	17	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर
	18	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, सागर (बालक / बालिका)
8. खरगौन	19	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगौन
9. बैतूल	20	शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैतूल

ii. मध्यप्रदेश भिक्षावृति निवारण अधिनियम के तहत प्रदेश में प्रमाणित शासकीय संस्था

क्र.	जिला	संस्था का नाम
1	इंदौर	अधीक्षक—भिक्षुक प्रवेश केन्द्र एवं प्रमाणित संस्था, समाज कल्याण परिसर, परदेशीपुरा इन्दौर, म.प्र.

iii. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएं

क्र.	जिले का नाम	कुल संस्था	संस्था का नाम एवं पूर्ण पता
1	2	3	4
1.	ग्वालियर	1 2	1. मांधव अंधाश्रम, ग्वालियर, 2. म.प्र. मूक बधिर कल्याण संस्था ग्वालियर.
2.	शिवपुरी	3	1. मंगलम शिवपुरी
3.	देवास	4	1. म.प्र. दृष्टिहीन कल्याण संघ शाखा देवास
4.	रतलाम	5	1. जनचेतना परिषद मंद एवं मूक बधिर विद्यालय जिला रतलाम
5.	उज्जैन	6 7	1.उज्जैनी वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा संचालित सेवांजलि विद्यालय 2.अपंग सेवा आश्रम उज्जैन
6.	इंदौर	8 9 10 11 12 13 14 15 16	1. मूकबधिर संगठन स्कीम नं. 71 रंजीत हनुमान के पीछे इंदौर 2. अंध मूक बधिर विद्यालय जीवन दीप कालोनी इंदौर 3. म.प्र. दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर किला मैदान 4. महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर बाब्बे अस्पताल के पास इंदौर 5. राष्ट्रीय दृष्टिहीन कल्याण संघ बाब्बे अस्पताल के पास इंदौर 6. रोटरी पांल हैरिस स्कूल बाब्बे अस्पताल के पास स्किम नं. 54 इंदौर 7. विकलांग कल्याण संघ इंदौर सुखलिया चन्द्रगुप्त चौराहा इंदौर 8. महात्मा गांधी संस्थान नवलखा बंगाली क्लब के पास इंदौर 9. कुष्ट सेवा संस्थान इंदौर
7.	झाबुआ	17	1.करुणा सदन कुष्ट निवारण संस्था राणापुर
8.	अलीराजपुर	18	1.चन्द्रशेखर आजाद आदिवासी दृष्टिहीन पुनर्वास केन्द्र अलीराजपुर
9.	बडवानी	19 20	1. श्री कांता विकलांग टस्ट झांकर निवाली जिला बडवानी 2. आशाग्राम ट्रस्ट जिला बडवानी
10.	खण्डवा	21	1. श्रीमती सावित्री बाई झंवर सेवा न्यास जिला खण्डवा
11.	भोपाल	22 23 24 25 26 27 28	1. दृष्टिहीन कल्याण संघ शिवाजीनगर भोपाल 2. नेशनल एसोसियेशन फॉर द ब्लाइंड सांकेत नगर भोपाल 3. मेरियन सोसायटी आशा निकेतन बधिर उ.मा.वि. अरेरा कालोनी भोपाल 4. मिरियम स्कूल फॉर द मेंटली हेण्डीकैप्ड अरेरा कालोनी भोपाल 5. शुभम विकलांग एवं समाज सेवा समिति कोहेफिजा भोपाल 6. दिग्दर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल 7. महात्मा गांधी कुष्ट आश्रम भोपाल
12.	विदिशा	29	1.सूरज निकेतन विशेष स्कूल, शिवकल्याण एवं शिक्षण समिति विदिशा
13.	बैतूल	30	1.दृष्टिहीनों की शाला एवं पुनर्वास केन्द्र पाठर जिला बैतूल
14.	छतरपुर	31	1.प्रगतिशील विकलांग संसार चौबे नर्सिंग हास्पिटल के पास छतरपुर
15.	दमोह	32	1.अनंत मूक बधिर विद्यालय दमोह
16.	जबलपुर	33 34	1. चेतना विकलांग सेवा भारती शास.प्राथमिक शाला परिसर जबलपुर 2. स्नेह निकेतन थाना गौरखपुर के पास जबलपुर
17.	रीवा	35	1.अशासकीय नेत्रहीन एवं विकलांग उ0मा0विद्यालय तोपखाना रीवा
18.	सीधी	36	1. गुरुकूल संस्कृति शिक्षा समिति विवेकानंद विकलांग आश्रम सीधी द्वारा संचालित विवेकानंद विकलांग आवसीय विद्यालय सीधी

**iv. दिव्यांगता के क्षेत्र में जिला निराश्रित निधि से अनुदान/सहायता
प्राप्त संचालित संस्थाओं की जानकारी**

जिला	क्र.	संस्था का नाम
1. इंदौर	1	संस्था संवेदना बौद्धिक विकास केन्द्र महू इंदौर
2. खरगोन	2	ज्योतिर्मय सेवा समिति बडवाह, खरगोन
	3	मॉ. ऊ. नर्मदा सेवा समिति बडवाह, जिला खरगोन
3. खण्डवा	4	निमाड अंचल नेत्रहीन संघ खण्डवा
	5	स्वयं सिद्धा शिक्षण समिति खण्डवा
4. भोपाल	6	उमंग गोरव दीप वेलफेयर सोसायटी 111, अराधना नगर कोटरा भोपाल
5. विदिशा	7	उम्मीद शिक्षण समिति विशेष स्कूल, जिला विदिशा
6. बैतूल	8	अर्पण बहुउद्देश्यीय शिक्षण समिति जिला बैतूल
7. नर्मदापुरम	9	डॉ. एनीबिसेन्ट मानसिक निःशक्त स्कूल / छात्रावास नर्मदापुरम
	10	संज्ञा शिक्षा समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित (दृष्टिबाधित) विद्यालय नर्मदापुरम
	11	भविष्य मानसिक निःशक्त विशेष विद्यालय जिला नर्मदापुरम
8. उज्जैन	12	अपंग सेवा आश्रम जिला उज्जैन
9. नीमच	13	रेडकास मूक बधिर विद्यालय एवं आवासीय छात्रावास जिला नीमच
10. देवास	14	मालवा कौसिल फार सोशल वर्क देवास
11. छिंदवाडा	15	शुभम निःशक्त तकनीकी विद्यालय, छिंदवाडा
12. नरसिंहपुर	16	महर्षि वशिष्ठ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जिला नरसिंहपुर
13. कटनी	17	स्वावलंबन विकलांग पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान कटनी
	18	राजीव कुमार समाज कल्याण ग्राम विकास शोध संस्थान झिंझरी कटनी
	19	भारतीय रेडकास सोसायटी श्रवण बाधितार्थ विद्यालय कटनी
14. ग्वालियर	20	आत्म ज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय जिला ग्वालियर
15. दतिया	21	अजय मेमोरियल चेरिटबल ट्रस्ट अनामय आश्रम दतिया
	22	मानव जन कल्याण संस्था शिवपुरी शाखा झांसी रोड दतिया
16. श्योपुर	23	गौरीशंकर आधुनिक शिक्षा प्रसार समिति, जिला श्योपुर
17. भिण्ड	24	बजरंग शिवम शिक्षा प्रसार समिति मेहगांव, जिला भिण्ड
18. सतना	25	स्नेह सदन वेलफेयर सोसायटी पतेरी सतना
19. सिंगरौली	26	जय मॉ कालिका विकलांग विशेष आवासीय विद्यालय सिंगरौली

V. अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वरिष्ठ आश्रम

क्र.	जिले का नाम	स. क्र.	वरिष्ठ आश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम	वरिष्ठ आश्रम संचालन का स्त्रोत
1	2	3	4	5
1	भोपाल	1	'आसरा वृद्धजन सेवा केन्द्र'गांधी भवन न्यास द्वारा संचालित वरिष्ठ आश्रम शाहजहांनाबाद, गोलघर के पास, भोपाल	निराश्रित निधि
		2	'आनंदधाम वरिष्ठ आश्रम' सेवा भारती (मातृछाया) भोपाल, नूतन कालेज के पास, लिंक रोड नं.-2	जन सहयोग
		3	ऑर्च डायोसिस आफ भोपाल आर्च विशाप्स हाउस, 33 अहमदाबाद पैलेस रोड, भोपाल	जन सहयोग
		4	'अपना घर वृद्धश्रम'बी-4-79, आई0आई0टी0 कालेज के पीछे कोलार रोड, भोपाल	जन सहयोग
2	रायसेन	5	'महात्मा गांधी वरिष्ठ आश्रम'अशा.संस्था आर.डी.एस. एस.,सिलवानी द्वारा संचालित जिला रायसेन	निराश्रित निधि
3	विदिशा	6	'वरिष्ठ आश्रम गंजबासौदा' फोरम फार इन्वायरमेंट एण्ड इकोनामिक फीड गंजबासौदा	निराश्रित निधि
		7	'श्री हरि वरिष्ठ आश्रम'अशा. संस्था अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित स्वर्णकार कालोनी, यामहा शो-रूम के पास, जिला विदिशा	केन्द्रीय अनुदान
4	नर्मदापुरम	8	'वरिष्ठ आश्रम पिपरिया' नगर पालिका पिपरिया द्वारा संचालित बस स्टैंड, पिपरिया जिला नर्मदापुरम	निराश्रित निधि
		9	'वरिष्ठ आश्रम इटारसी' रामवृद्ध जन कल्याण समिति इटारसी जिला नर्मदापुरम	निराश्रित निधि
		10	अभ्युदय लोक सेवा संस्थान, वार्ड नंबर . 8 देवल मोहल्ला सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम	केन्द्रीय अनुदान
5	बैतूल	11	'मातोश्री शिशु-वृद्धजन सेवाधाम' अशा.संस्था विशाल सतपुडा उत्थान समिति ग्राम उडदन, पोस्ट बाक्स नं. 27-भारत भारती बैतूल	निराश्रित निधि
6	हरदा	12	'वरिष्ठ आश्रम हरदा' जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित शासकीय भवन जिला पंचायत के सामने, जिला हरदा	निराश्रित निधि
7	सीहोर	13	'संकल्प वृद्धाश्रम' अशा. संस्था न्यू प्रताप शिक्षा समिति, जिला सीहोर द्वारा संचालित जिला सीहोर	केन्द्रीय अनुदान
8	राजगढ़	14	'आशाधाम वरिष्ठ आश्रम' अशासकीय संस्था अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र शाखा राजगढ़ जिला राजगढ़	केन्द्रीय अनुदान
9	ग्वालियर	15	अशा. संस्था नारायण दास अग्रवाल परमार्थ सेवा ट्रस्ट, जागृति नगर, लक्ष्मीगंज ग्वालियर	निराश्रित निधि
		16	मोलीक्यूलर वैलफेयर सोसायटी, केकृ48, गांधी नगर, ग्वालियर जिला ग्वालियर	निराश्रित निधि
10	गुना	17	'अपना घर वरिष्ठ आश्रम'अशा.संस्था श्री साईनाथ सेवा सदन समिति, नानाखेड़ी, जिलाकृ गुना	निराश्रित निधि
11	अशोकनगर	18	'वरिष्ठ आश्रम अशोक नगर' अशा. संस्था फोरम फार इनवायरमेन्ट एण्ड डेव्हलपमेंट (फीड) शंकरपुर, आरोन रोड, मगरदा चौराहा, जिला	निराश्रित निधि

क्र.	जिले का नाम	संक्र.	वरिष्ठ आश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम	वरिष्ठ आश्रम संचालन का स्त्रोत		
1	2	3	4	5		
			अशोकनगर			
12	श्योपुर	19	'गणराज वरिष्ठ आश्रम' अशा.संस्था श्री गणराज सेवा समिति, पाली रोड, श्योपुर	निराश्रित निधि		
		20	'वरिष्ठ आश्रम कराहल'गौरी शंकर आधुनिक शिक्षा प्रसार समिति जिला श्योपुर	निराश्रित निधि		
13	भिण्ड	21	'वरिष्ठ आश्रम भिण्ड'अशा.संस्था— मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, गली नं० 2 जमना रोड, जिला भिण्ड	निराश्रित निधि		
		22	'वरिष्ठ आश्रम' श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट तह० लहार, जिला भिण्ड	जन सहयोग		
		23	'बांके बिहारी वरिष्ठ आश्रम'श्री मूलचन्द्र शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम दबोह, जिला भिण्ड	निराश्रित निधि		
		24	'माँ गजानन वरिष्ठ आश्रम' माँ गजानन शिक्षा समिति मौ जिला भिण्ड	निराश्रित निधि		
		25	'बालाजी वरिष्ठ आश्रम' गहोई शिक्षा प्रसार समिति, मिहोना, जिला भिण्ड	केन्द्रीय अनुदान		
14	मुरैना	26	'शासकीय वरिष्ठ आश्रम' कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित वरिष्ठ आश्रम, माधोपुरा की पुलिया के पास मुरैना	निराश्रित निधि		
15	शिवपुरी	27	'वरिष्ठ आश्रम शिवपुरी' अशा.संस्था मंगलमकृशिवपुरी वृद्धाश्रम भवन, अस्पताल चौराहे के पास कोट रोड, जिला शिवपुरी	केन्द्रीय अनुदान		
16	इंदौर	28	'आस्था वरिष्ठ आश्रम' अशा.संस्था कल्याण मित्र समिति समाज कल्याण परिसर, परदेशीपुरा, जिला इंदौर	जन सहयोग		
		29	अमरलाल सेवा चेरेटेबिल ट्रस्ट द्वारकापुरी, जिला इंदौर	जन सहयोग		
		30	श्री भोलाराम भक्त हनुमान मंदिर परमार्थिक ट्रस्ट, १६ छोटी भमोरी अनूप टाकीज चौराहा, इंदौर	जन सहयोग		
		31	'श्री गणेश बुजुर्ग आश्रम' अशा.संस्था महिला उत्कर्ष संस्थान ३४ वृदावन कालोनी इन्दौर जिला इंदौर	केन्द्रीय अनुदान		
17	धार	32	'वरिष्ठ आश्रम धार' भारतीय रेडक्रास सोसायटी –धार द्वारा संचालित इंदौर नाका, जिला धार	रेडक्रास सोसायटी		
18	बुरहानपुर	33	'वरिष्ठ आश्रम' बुरहानपुर'अशा.संस्था हरखराज विजयराज लोढ़ा द्वारा संचालित जिला बुरहानपुर	जन सहयोग		
19	खरगौन	34	'आनंद बसेरा वरिष्ठ आश्रम'नगर पालिका महेश्वर द्वारा संचालित, महेश्वर, जिला खरगौन	निराश्रित निधि		
		35	'आशा निकेतन वृद्धाश्रम'सरस्वती साहित्य संगम महेश्वर शाखा, खलबुजुर्ग, तहसील कसरावद, जिला खरगौन	निराश्रित निधि		
20	बडवानी	36	'वरिष्ठ आश्रम बडवानी' आशाग्राम ट्रस्ट बडवानी	जन सहयोग		
		37	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा बडवानी	जन सहयोग		
21	खण्डवा	38	श्री वैष्णव वृद्धाश्रम अशा.संस्था आश्रम शांति निकेतन ओंकारेश्वर जिला— खण्डवा	निराश्रित निधि		
		39	'दादा जी वृद्धाश्रम'सोसायटी फार मेक्सीमाइजिंग एग्रीकल्वर एण्ड रुरल टेक्नोलाजी खण्डवा	केन्द्रीय अनुदान		

क्र.	जिले का नाम	सं. क्र.	वरिष्ठ आश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम	वरिष्ठ आश्रम संचालन का स्त्रोत
1	2	3	4	5
22	आगर मालवा	40	'अपना घर वरिष्ठ आश्रम' तथागत समाज कल्याण समिति वार्ड नं. 11 अजित बाबा रोड आगर मालवा	केन्द्रीय अनुदान
23	अलीराजपुर	41	'वरिष्ठ आश्रम' जिला प्रशासन सामाजिक न्याय विभाग	निराश्रित निधि
24	उज्जैन	42	'सेवाधाम वरिष्ठ आश्रम' अशा. संस्था उज्जैयिनी वरिष्ठ नागरिक संगठन, ग्राम अम्बोदिया तह. घटिया, जिला— उज्जैन	जन सहयोग
25	मंदसौर	43	'वरिष्ठ आश्रम' भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा मंदसौर द्वारा संचालित रेवास देवडा रोड, जिला मंदसौर	जन सहयोग
26	देवास	44	'बसेरा वरिष्ठ आश्रम' जिला विकलांग कल्याण एवं विकास समिति, जिला देवास द्वारा संचालित राजोदा रोड, जिला देवास	निराश्रित निधि
27	रतलाम	45	'वरिष्ठ आश्रम बिरयाखेडी' भारतीय रेडक्रास सोसायटी, बिरयाखेडी जिला रतलाम	निराश्रित निधि
		46	कैलाश फाउण्डेशन, कापडने, वार्ड 5 साई हास्पिटल राजधान रोड बडवानी	केन्द्रीय अनुदान
28	नीमच	47	'वरिष्ठ आश्रम नीमच' भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नीमच	निराश्रित निधि
29	सागर	48	'आनंद वरिष्ठ आश्रम' भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा सागर द्वारा संचालित खुरई जिला सागर	निराश्रित निधि
		49	गोपाल सेवा वरिष्ठ आश्रम, गढ़ाकोटा, जिला सागर नगर पालिका द्वारा संचालित	निराश्रित निधि
30	दमोह	50	'वरिष्ठ आश्रम' दमोह भारतीय रेडक्रास सोसायटी, दमोह	निराश्रित निधि
31	छतरपुर	51	'दर्शना वरिष्ठ आश्रम' अशा. संस्था दर्शना महिला कल्याण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, छतरपुर	निराश्रित निधि
		52	'माँ भगवती वृद्धाश्रम' अशा. संस्था— माँ भगवती महिला मंडल, घुवारा, तहसील बडामलहरा, जिला छतरपुर	निराश्रित निधि
		53	"वरिष्ठ आश्रम" समग्र विकास महिला समिति वृद्धाश्रम लवकुश नगर छतरपुर	निराश्रित निधि
32	निवाड़ी	54	'रामराजा वरिष्ठ आश्रम' श्री लुकमान चौराहा, मोटे का मोहल्ला, आरेछा, अशा. संस्था— आर.एस. शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित	निराश्रित निधि
33	टीकमगढ़	55	श्रेया मानव कल्याण एवं ग्रामीण विकास समिति टीकमगढ़	जन सहयोग
34	पन्ना	56	'वरिष्ठ आश्रम' अशासकीय संस्था जन जागरण एवं समाज उत्थान परिषद पन्ना	केन्द्रीय अनुदान
35	जबलपुर	57	'आश्रम आनन्द भवन' मिशनरीश ऑफ चेरिटी मदर टैरेसा आश्रम आनन्द भवन पूर्वी घमापुर, कॉचघर, जबलपुर	जन सहयोग
		57	'वरिष्ठ आश्रम बाजनामठ' भारतीय रेडक्रास सोसायटी, बाजनामठ, तिलवाराधाट रोड, जबलपुर	केन्द्रीय अनुदान
36	छिन्दवाडा	58	'गोधुली वरिष्ठ आश्रम' नगर पालिका निगम द्वारा संचालित लोनिया करबल, छिन्दवाडा	निराश्रित निधि
37	नरसिंहपुर	59	'जगतगुरु शंकराचार्य वृद्धाश्रम' आध्यात्मिक उत्थान मंडल न्यास समिति, झोतेश्वर, गोटेगाव, जिला— नरसिंहपुर	निराश्रित निधि
		60	सैद्धांतिक शिक्षा समिति, गोटेगाव, नरसिंहपुर मेनरोड जिला	केन्द्रीय अनुदान

क्र.	जिले का नाम	सं. क्र.	वरिष्ठ आश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम	वरिष्ठ आश्रम संचालन का स्त्रोत
1	2	3	4	5
			नरसिंहपुर	
		61	तपोभूमि वृद्धाश्रम बरमानकला, रेडक्रॉस सोसायटी नरसिंहपुर	निराश्रित निधि
38	कटनी	62	'बच्चन नायक वरिष्ठ आश्रम' अशा.संस्था कर्मयोग समिति, 10 सावरकर वार्ड, नई बस्ती जिला कटनी, ग्राम कछगंवा, झिंझर जेल के पास, जिला कटनी	जन सहयोग
39	बालाघाट	63	'सहारा वरिष्ठ आश्रम' जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं. 1, भटेरा चौकी बालाघाट	निराश्रित निधि
		64	'सहारा वरिष्ठ आश्रम' पीपरटोला (विरसा) जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं 0 1, भटेरा चौकी जिला बालाघाट	केन्द्रीय अनुदान
40	सिवनी	65	'वरिष्ठ आश्रम सिवनी'वृद्धाश्रम विकास समिति जिला सिवनी	निराश्रित निधि
		66	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं. 11 कॉलेज रोड बरघा, जिला सिवनी	केन्द्रीय अनुदान
41	मण्डला	67	'वरिष्ठ आश्रम'भारतीय रेडक्रास सोसायटी मण्डला	रेडक्रास सोसायटी
		68	सैद्धांतिक शिक्षा समिति, ग्राम बीजाडाण्डी, तहसील नारायण गंज, मंडला मेन रोड बीजाडाण्डी	केन्द्रीय अनुदान
42	डिण्डौरी	69	'मां नर्मदा वरिष्ठ आश्रम' सर्वांगीण विकास संस्थान डिण्डौरी	जन सहयोग
43	रीवा	70	'वरिष्ठ आश्रम'स्वागत भवन रीवा, भारतीय रेडक्रास सोसायटी	निराश्रित निधि
44	सतना	71	प्रमोदवन आनंदधाम' कांच मंदिर के आगे, चित्रकूट, सतना	निराश्रित निधि
		72	'वरिष्ठ आश्रम' मां शारदा देवी प्रबंध कमेटी (ट्रस्ट) समिति, मैहर, जिला—सतना	निराश्रित निधि
		73	'चन्द्राश्रय वरिष्ठ आश्रम' डॉ. लालता प्रसाद खरे पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट, सतना, नीमी रोड, सकरिया, जिला सतना	निराश्रित निधि
		74	'वरिष्ठ आश्रम' मॉडल शिक्षा समिति, वीरसिंहपुर, सतना	निराश्रित निधि
		75	'वरिष्ठ आश्रम अमिरिती'दुर्गा वृद्ध सेवा समिति, ग्राम पंचायत अमिरिती पोर्ट देवरा, ज.प. मझगंवा, सतना	निराश्रित निधि
		76	प्रभाश्री जन कल्याण समिति श्यामनगर जिला सतना	निराश्रित निधि
45	सिंगरौली	77	'वरिष्ठ आश्रम'जय मां कालिका निःशक्ति कल्याण शिक्षा विकास समिति, कटई, विठ्ठल देवसर, जिला सिंगरौली	निराश्रित निधि
46	शहडोल	78	'वरिष्ठ आश्रम'अशा.संस्था—भारत विकास परिषद, कल्याणपुर, जिला शहडोल	निराश्रित निधि
47	अनूपपुर	79	'कल्याण वरिष्ठ आश्रम'ग्राम सीतापुर ग्राम पंचायत बरबसपुर, जिला अनूपपुर	निराश्रित निधि

केन्द्रीय अनुदान से संचालित नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र (IRCA)
अशासकीय संस्थाओं की सूची

क्रमांक	जिला	अशासकीय संस्था का नाम
1	इंदौर	भारतीय रेडक्रास सोसायटी इंदौर “आर्शीवाद नशामुक्ति” केन्द्र मेंटल हास्पिटल के पास बाणगंगा मेनरोड इंदौर
2	इन्दौर	अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र (नशामुक्ति केन्द्र संस्कृति रायल पार्क कनुप्रिया नगर राउ इन्दौर)
3	इन्दौर	सदभाव मिशन समिति शाखा इन्दौर, (नशामुक्ति केन्द्र) म.नं. 647 ए, महालक्ष्मी नगर मेनरोड नियर बाम्बे हास्पिटल इन्दौर 452010
4	उज्जैन	अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ, उज्जैन “जागृति नशामुक्ति केन्द्र” नगर निगम उप कार्यालय परिसर, मक्सी रोड फ्रीगंज, उज्जैन
5	नीमच	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा नीमच नशामुक्ति केन्द्र ओ.पी.एम.एण्ड अल्कोलाइड फैक्ट्री केम्पस नीमच
6	जबलपुर	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति भोपाल “नव ज्योति नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र” अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट जबलपुर जिला जबलपुर
7	जबलपुर	सदभाव मिशन समिति शाखा कुदवारी कालोनी अमखेड़ा पेट्रोल पंप के पास जिला जबलपुर (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
8	बालाघाट	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट युग शक्ति भवन बार्ड नं. 1 भटेरा चौकी बालाघाट (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
9	पन्ना	जन जागरण एवं समाज उत्थान परिषद् होमगार्ड आफिस के पास पन्ना
10	सिवनी	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट शाखा जयरथ नाका ईश्वर नगर सिवनी (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
11	विदिशा	अजन्ता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति 53 सॉची मार्ग देवी का वाग के सामने विदिशा
12	भिण्ड	अहिंसा महिला बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा समिति मालनपुर तह. गोहद जिला भिण्ड
10	सीहोर	न्यू प्रताप शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल, संकल्प नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र “यशोदा कुंज” कस्बा सीहोर
12	खण्डवा	सोसायटी फार मेंजीमाइंजिंग एग्रीकल्चर एण्ड रुरल टेक्नोलाजी खण्डवा (10 धनवंतरी नगर केसर होटल के सामने जसवाडी रोड खण्डवा)
13	बडवानी	आशा ग्राम ट्रस्ट बडवानी (नशामुक्ति केन्द्र आशा ग्राम ट्रस्ट बडवानी)
14	रीवा	निवेदिता कल्याण समिति रीवा, नशामुक्ति केन्द्र, सरस्वती स्कूल के पास निराला नगर रीवा
15	दमोह	स्वामी विवेकानन्द सामाजिक उत्थान शिक्षा निकेतन तह. पथरिया जिला दमोह (नशामुक्ति केन्द्र)
16	छिन्दवाडा	मातृ सेवा संघ छिन्दवाडा (नशामुक्ति केन्द्र तत्याटोपे वार्ड नं. 40 सोनी मोहल्ला लोनिया करबल छिन्दवाडा)
17	भोपाल	न्यू प्रताप शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल, (नशामुक्ति केन्द्र एम. जी.एम. स्कूल के पास अवधपुरी भोपाल)

vi. केन्द्रीय अनुदान से संचालित आउटरीच एण्ड ड्राप इन सेंटर (ODIC) सूची

क्रमांक	जिला	अशासकीय संस्था का नाम
1	ग्वालियर	अहिंसा बाल कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार समिति ग्वालियर
2	इंदौर	अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र शाखा इंदौर
3	उज्जैन	अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र शाखा उज्जैन
4	सागर	अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति शाखा सागर
5	रीवा	निवेदिता कल्याण समिति मानस नगर वरा रीवा
6	मंदसौर	होप सोसायटी कम्युनिटी इम्लाईमेंट एण्ड रिसर्च शाखा 3 श्यामनगर नियर राजेन्द्र रिसोर्ट रामटेकरी मंदसौर
7	जबलपुर	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति जबलपुर अनुपम विद्यालय के पीछे सुराही विल्डिंग जबलपुर
8	दतिया	अहिंसा बाल कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार समिति ग्वालियर शाखा दतिया
9	भोपाल	अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति शाखा भोपाल

vii. केन्द्रीय अनुदान से संचालित कम्युनिटी बेर्स्ड पियरलेड सेंटर (CPLI) सूची

क्रमांक	जिला	अशासकीय संस्था का नाम
1	ग्वालियर	रमन शिक्षा समिति 135 जय अम्बे अपार्टमेंट मयूर नगर ग्वालियर
2	शाजापुर	अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र शाखा शाजापुर
3	जबलपुर	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति जबलपुर अनुपम विद्यालय के पीछे सुराही विल्डिंग जबलपुर

IX. जिले के संयुक्त संचालक तथा उप संचालक कार्यालय के द्रभाष नम्बर

क्र.	जिला	अधिकारी का नाम	कोड	दूरभाष	मोबाइल	ईमेल
1.	भोपाल	श्री आर.के. सिंह	0755	2540865	9425459152	pswbho@mp.nic.in
2.	सीहोर	डॉ एस.के. पचौरी	07562	227039	9406904639	pswseh@mp.nic.in
3.	रायसेन	श्री मनोज बाथम	07482	222052	9425660832	pswrai@mp.nic.in
4.	राजगढ़	श्री कोमल प्रसाद राज	07372	255259	9893608510	pswraj@mp.nic.in
5.	विदिशा	डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा	07592	234272	9407256836	ddsjvid@mp.gov.in
6.	नर्मदापुरम	श्रीमती प्रमिला वाईकर	07574	253385	9425688379	pswhos@mp.nic.in
7.	बैतूल	श्री संजीव श्रीवास्तव	07141	234368	9425873988	ddsj.betul@mp.gov.in
8.	हरदा	श्री कमलेश सिंह	07577	225193	9424429944	pswhar@mp.gov.in
9.	इन्दौर	श्रीमती सुचिता तिर्की बेक	0731	2367214	9893860721	pswind@mp.gov.in
10.	धार	श्री एन.एस.नरवरिया	07292	235810	9826834533	pswdha@mp.nic.in
11.	खरगोन	श्री पुरोषोत्तम पाटीदार	07282	235019	9424808844	pswkhr@nic.in
12.	खण्डवा	श्री कुमार सानू	0733	2223229	9907775159	pswkhd@mp.nic.in
13.	बड़वानी	श्री धर्मेन्द्र गांगले	07290	222801	9826418873	pswbar@mp.nic.in
14.	बुरहानपुर	श्रीमती हेमलता सोलंकी	07325	242158	7999076530	ddpsjbur@mp.gov.in
15.	झावुआ	श्री दिनेश चंद्र वर्मा	07392	244285	9425438193	pswjha@mp.nic.in
16.	अलीराजपुर	सुश्री प्रियांशी भवंर	07394	234405	9977984041	ddsj.alirajpur@mp.gov.in
17.	उज्जैन	श्री सविर अहमद सिद्धिकी	0734	2510515	7000378552	pswujj@nic.in
18.	देवास	श्री आर.के. जोशी	07272	254928	9893124075	pswdew@mp.nic.in
19.	शाजापुर	श्री अर्जीत श्रीवास्तव	07364	226783	9425064440	pswshj@mp.nic.in
20.	रतलाम	श्रीमती संध्या शर्मा	07412	270428	8989448090	ddsjrat@mp.gov.in
21.	मंदसौर	श्री पी.सी.वर्मा	07422	235203	9424567472	pswmas@mp.nic.in
22.	नीमच	श्री अरविन्द डामोर	07423	257053	8770369629	psjnee@mp.gov.in
23.	आगर मालवा	सुश्री रीना शर्मा	07362	259100	9425078344	ddsj.agar@mp.gov.in
24.	ग्वालियर	श्री राजीव सिंह	0751	2346967	9425136317	pswgwa@mp.nic.in
25.	शिवपुरी	श्री एम.के. जैन	07492	233640	9755322854	pswshi@mp.nic.in
26.	गुना	श्री ब्रजेश माधुर	07542	252202	6265190415	pswgun@mp.nic.in
27.	दतिया	श्री कमलेश भार्गव	07522	237259	9425729394	ddsjdatia@gmail.com
28.	मुरैना	श्री आर.के. गोस्वामी	07532	226990	9425069119	pswmor@mp.nic.in
29.	भिण्ड	श्री अब्दुल गफकार	07534	242568	9425059657	ddsj-bhind@mp.gov.in
30.	श्योपुर	श्री सुधीर खांडेकर	07530	220572	9425097922	sj.sheopur@mp.nic.in
31.	अशोकनगर	श्री विशाल सिंह	07543	222461	8109448034	psjash@mp.gov.in
32.	सागर	सुश्री मनीषा चतुर्वेदी	07582	223524	6268286234	pswsag@nic.in
33.	दमोह	सुश्री अदिति	07812	222687	8505912474	pswdam@mp.nic.in
34.	पन्ना	श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी	07732	252058	9424672972	pswpan@mp.nic.in
35.	छतरपुर	श्री पीयूष भट्ट	07682	246517	8462003999	ddsj.chhatarpur@nic.in
36.	टीकमगढ़	श्री आर.के. पस्तौर	07683	242383	9425404238	pswtik@nic.in
37.	निवाड़ी	श्री संजीव वशिष्ठ	-	-	9425117182	ddsj.niware@mp.gov.in
38.	जबलपुर	श्री आशीष दीक्षित	0761	2625256	9425384868	pswjab@mp.nic.in
39.	नरसिंहपुर	श्रीमती अंजना त्रिपाठी	07792	230412	8750559888	pswnar@mp.nic.in
40.	छिन्दवाड़ा	श्री सुशील कुमार गुप्ता	07162	243426	9425391707	pswchi@mp.nic.in
41.	सिवनी	श्री वीरेश सिंह बघेल	07692	228005	9425446937	pswseo@mp.nic.in
42.	मण्डला	श्री एस.एस. मरावी	07642	223560	8839109792	pswmal@mp.nic.in
43.	बालाघाट	श्री विवेक कुमार	07632	240281	8770391970	pswbal-mp@mp.gov.in
44.	डिण्डोरी	श्री श्यामलाल सेंगर	07644	234841	8962176970	pswdin@mp.gov.in
45.	कटनी	श्रीमती संस्कृति शर्मा	07622	221250	8376885332	pswkat@mp.nic.in
46.	रीवा	श्री अनिल दुबे	07662	254095	9425186877	pswrew@mp.nic.in
47.	सतना	श्री सौरभ सिंह	07672	224391	9425131721	ddjsat@mp.gov.in
48.	सीधी	श्री प्रशांत कुमार त्रिपाठी	07822	250282	9893460701	pswsid@mp.nic.in
49.	सिंगराली	श्री अनुराग मोदी	-	-	9424355204	ddsj-singrauli@nic.in
50.	शहडोल	श्री शिवेन्द्र सिंह परिहार	07652	245209	9301102243	pswshd@mp.nic.in
51.	उमरिया	श्री राजीव गुप्ता	07653	223027	9425369790	ddsjuma@mp.gov.in
52.	अनूपपुर	श्री के.के. सोनी	07659	222699	8964925890	psjanu@mp.gov.in

नोट्स

